पत्रांक 13/न4-31/2000शि०प० 122

सेकेन्ड्री, प्राथमिक एवं वयस्क शिक्षा विभाग, बिहार

प्रेषक

श्री मोहीउद्दीन सालिक
विशेष निदेशक(माध्यमिक शिक्षा)।

सेवा में,

सचिव,
सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेन्ड्री एजुकेशन,
शिक्षा केन्द्र-2, कम्यूनिटी सेन्टर, प्रीत विहार,
विकास मार्ग, नई दिल्ली-110092

पटना, दिनांक 18 फरवरी 2003

विषय:- सेकेन्ड्री देलही पब्लिक स्कूल, गया को सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेन्ड्री एजुकेशन, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि दिनांक 24-12-02 को निजी विद्यालयों की अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किए जाने के संबंध में उच्चस्तरीय समिति की बैठक में सर्वसम्मति से लिए गए निर्णय के आलोक में सेकेन्ड्री देलही पब्लिक स्कूल, गया को सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेन्ड्री एजुकेशन, नई दिल्ली द्वारा मान्यता/सम्बद्धता इस शर्त्त के साथ देने में कोई आपत्ति नहीं है कि विद्यालय के प्रबंधन द्वारा नियुक्त शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मियों को राज्य सरकार के शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों के लिए अनुमान्य वेतनमान एवं भत्ता के अनुरूप वेतनमान एवं भत्ता का भुगतान उनके द्वारा सुनिश्चित किया जाय।

2- इसकी सूचना संबंधित विद्यालय के प्राचार्य को दी जा रही है। यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा।

विश्वासभाजन,

(मोहीउद्दीन सालिक)
विशेष निदेशक(माध्यमिक शिक्षा)।

ज्ञापांक 122 पटना, दिनांक 18 फरवरी 2003

प्रतिलिपि संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित क्षेत्रीय उप शिक्षा निदेशक/संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं संबंधित विद्यालय के प्राचार्य को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2- शैक्षणिक गुणवत्ता को सुनिश्चित करने हेतु विभाग द्वारा प्रतिवर्ष कम-से-कम एक बार विद्यालय का निरीक्षण किया जाएगा।

3- निम्नांकित परिस्थितियों में विद्यालय को निर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र निरस्त/वापस लेने की कारवाई प्रारम्भ की जा सकती है:-

(क) आपत्ति प्रमाण-पत्र के लिए समर्पित कागजात एवं अभिलेख जाली पाये जाने अथवा वास्तविक स्थिति से भिन्न होने पर।

U. Chandra
25.04.2024

(पी०टी०ओ०)

॥ख॥ विद्यालय में वित्तीय अनियमितता की जा रही हो अथवा जिस मद के लिए राशि की व्यवस्था है, इसका दूसरे मद में व्यय किया जा रहा हो।

॥ग॥ विद्यालय ऐसी गतिविधि में संलग्न हो जो राज्य के हित एवं राज्य सरकार द्वारा बनाई गई नियमों के विरुद्ध हो एवं ऐसी कारवाई की जा रही हो जिससे समाज के विभिन्न सोसायटी के बीच कटुता पैदा हो।

॥मोहीउद्दीन सालिक॥
विशेष निदेशक॥माध्यमिक॥

ज्ञापांक 122 पटना, दिनांक 18-2-03

प्रतिलिपि सचिव/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

॥मोहीउद्दीन सालिक॥
विशेष निदेशक॥माध्यमिक शिक्षा॥

ज्ञापांक 122 पटना, दिनांक 18-2-03

प्रतिलिपि माननीय मंत्री/राज्य मंत्री, माध्यमिक शिक्षा, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

विशेष निदेशक॥माध्यमिक शिक्षा
बिहार, पटना

॥कृपा॥

U. Chandra
25.04.2024
Principal
Secondary D[illegible] Public School
Gaya

SECRETARY
Sec. Delhi Public School
Gaya